

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
बुधवार, 12 अप्रैल, 2006/चैत्र 22, 1928(शक)

संख्या- 152

विषय:- सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, अतिरिक्त उपायुक्त, पश्चिमी जिला, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य, श्री ओ.पी.बब्बर को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धरा-65 के अंतर्गत दिनांक 8.04.2006 को 1.15 बजे पुलिस स्टेशन, तिलक नगर, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

उन्हें उसी दिन, उसी स्थान से अप. 2.00 बजे रिहा कर दिया गया।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Wednesday 12th April 2006/22 Chaitra 1928

No. 152

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Addl.DCP, West Distt., Delhi

"I have the honour to inform you that Shri O.P. Babbar, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi, was detained u/s 65 D.P. Act, at P.S. Tilak Nagar at 1.15PM on 8.4.2006.

He was released at 2.00PM from the same place on same date."

Siddharath Rao
Secretary